20

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश
17, अरेरा हिल्स, भोपाल

दूरभाष– 2550488, 2550446, 2553305, 2551282, फैक्स– 0755– 2555162
E-Mail : ceomp@mp.nic.in, Website:ceomadhyapradesh.nic.in

फा. क्र. 19/2012/3/3152 भोपाल, दिनांक 28.4.2012

प्रति,

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
मुरैना, गुना, छतरपुर, सिंगरौली, जबलपुर, बालाघाट, सिवनी, छिन्दवाडा, शाजापुर, बडवानी, अलीराजपुर, एवं झाबुआ मध्य प्रदेश।

विषयः– 5 जनवरी 2012 के पश्चात निरन्तर अद्यतन के तहत प्राप्त आवेदनों के निराकरण के संबंध में।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्र कमांक19/2012/3/(1)/1287 दिनांक 23.2.2012, कमांक 19/2012/3/(1)/1858 दिनांक 16.3.2012 एवं पत्र कमांक 18/2012/3/2265 दिनांक 2.4.2012

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का कृपया अवलोकन करें। जिसके द्वारा निरन्तर अद्यतन के तहत प्राप्त आवेदनों की जाचं कराकर फार्मो का निराकरण शीघ्र करवाने हेतु लिखा गया था। निरन्तर अद्यतन के तहत आवेदनों के निराकरण की प्रगति की समीक्षा करने पर पाया गया है कि आपके जिले के अंतर्गत आने वाले विधान सभा क्षेत्रों में प्राप्त आवेदनों का निराकरण को आन लाईन ईआरएमएस में दर्ज करने के कार्य की गति अत्यंत धीमी है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस महत्वपूर्ण कार्य को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं वेण्डर इस कार्य को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। आवेदनों के निराकरण की स्थिति की जानकारी मु.नि.प.की वेबसाईट पर देखें । आप भी प्रति निकाल सकते है।

अतः आप अपने स्तर से विधान सभा क्षेत्रवार प्राप्त एवं निराकृत आवेदनों को कम्प्यूट्रीकृत करने की बैठक लेकर समीक्षा करें तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को विधिवत नियमानुसार प्राप्त आवेदनों का निराकरण कर कम्प्यूटर पर उनके निराकरण की स्थिति अविलंब अंकित करने के लिये निर्देशित करने का कष्ट करें। यहां यह उल्लेखनीय है कि आन लाईन ईआरएमएस में प्रविष्टि के निराकरण की स्थिति ईआरओ माडयूल से उनके पासवर्ड अकित करते हुए ही की जाना होती है। जिसमें वेण्डर सहयोग करेगा परन्तु यह करते समय ईआरओ को उपस्थित रहना आवश्यक है। ईआरओ माडयूल से ही निराकृत डाटा भी अपलोड करना होता है। अतः ईआरओ की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। फार्म पर लिए निर्णय की जानकारी संबंधित आवेदक /मतदाता को भेजी जाना भी सुनिश्चित करें।

अतः निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले के विधान सभा क्षेत्रों में प्राप्त आवेदनों को शीघ्रता से नियमानुसार निराकरण कर निराकरण की स्थिति तत्काल आन लाईन ईआरएमएस में दर्ज कराते हुए डाटा सेन्ट्रल सर्वर पर अपलोड करने के लिये संबंधित ईआरओ को पावंद करें। डोर टू डोर सर्वे के दौरान प्राप्त आवेदनों को भी अपलोड कराना सुनिश्चित करें। जिनके नाम मतदाता सूची में जोडे गये है उनके इपिक बनाकर समय पर वितरण करवाना सुनिश्चित करें । मतदान केन्द्रवार अभिलेख संधारित होने तथा इपिक वितरण के लिए विहित रजिस्टर संधारित होने की पुष्टि करें ।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार

(एस एस बंसल) 28.4.12
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्य प्रदेश

पृ क्र. 19/2012/3/ 3153
भोपाल, दिनांक 28/4/2012

प्रतिलिपिः—

1. संभागायुक्त (समस्त) मध्य प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. कलेक्टर समस्त मध्यप्रदेश (**मुरैना, गुना, छतरपुर, सिंगरौली, जबलपुर, बालाघाट, सिवनी, छिन्दवाडा, शाजापुर, बडवानी, अलीराजपुर, एवं झाबुआ को छोडकर) आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।** डोर टू डोर सर्वे के दौरान प्राप्त आवेदनों के विधिवत नियमानुसार समय से निराकरण एवं कम्प्यूटीकरण के लिये संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को पावंद करें।

(एस एस बंसल) 28.4.12
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्य प्रदेश